संख्या 830 /18-4-2025

प्रेषक,

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ: 06 नवम्बर, ~~अक्टूबर,~~ 2025

विषयः- निर्यात क्रेडिट इंश्योरेंस समर्थन योजना।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश से होने वाले निर्यात को संवर्धित करने, प्रदेश के निर्यातकों हेतु निर्यात लेन-देन से जुड़े जोखिमों को कम करने, उन्हें नए बाजारों/खरीदारों की खोज करने हेतु प्रोत्साहित करने तथा उनके द्वारा किये जा रहे निर्यात को अधिक सुरक्षित बनाये जाने के उद्देश्य से उद्यमियों को उपयुक्त क्रेडिट रेटिंग वाले ओवरसीज बायर्स से सम्बद्ध करने तथा भुगतान डिफॉल्ट जैसे जोखिमों से सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता अनुभूत की जा रही है।

2. उक्त के क्रम में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ECGC), जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सरकारी एजेंसी है, के माध्यम से निर्यात साख बीमा; (Export Credit Insurance) प्राप्त करने वाले प्रदेश के निर्यातकों को उनके द्वारा भुगतान किये गये प्रीमियम पर आंशिक प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने तथा अन्य निर्यातकों को निर्यात साख बीमा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 684/18-4-2025/18-4099/31/2025 दिनाँक 03 सितम्बर 2025 द्वारा प्रख्यापित नवीन उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 में प्रदेश के निर्यातको हेतु एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (ECGC) बीमा हेतु भुगतान किये गये वार्षिक प्रीमियम की आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने की व्यवस्था प्रावधानित की गयी है।

तत्क्रम में श्री राज्यपाल प्रदेश के निर्यातकों हेतु नवीन योजना- "निर्यात क्रेडिट इंश्योरेंस समर्थन" योजना आरम्भ किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. योजनान्तर्गत विभिन्न प्रावधान निम्नवत है-

(क) पात्रता-

1. योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 द्वारा समय-समय पर परिभाषित उत्तर प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की समस्त निर्यातक इकाईयां पात्र होंगी।

2. योजनान्तर्गत मर्चेट व मैन्युफैक्चुरिंग दोनो श्रेणियों के निर्यातक पात्र होंगे।

3. निर्यातक इकाई द्वारा ECGC प्रीमियम का वास्तविक भुगतान किया गया हो।

4. सम्बन्धित निर्यात लेन-देन वास्तविक व वैध रूप से किया गया हो।

4. कार्य संपादन के समय निर्यातक इकाई निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद की पंजीकृत सदस्य हो।

(ख) वित्तीय प्रोत्साहन-

- भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ECGC) को वार्षिक प्रीमियम के रूप में भुगतान की गयी धनराशि के 30 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति निर्यातक इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रति निर्यातक इकाई प्रति वर्ष ₹ 5 लाख होगी।

4. आवेदन की प्रक्रिया-

1. निर्यातक इकाईयों द्वारा प्रत्येक त्रैमास हेतु पृथक दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा।

2. सम्बन्धित त्रैमास में निर्यातक इकाई द्वारा जमा की गई सभी बीमा पॉलिसी की कुल प्रीमियम धनराशि हेतु दावा त्रैमास की अंतिम तिथि से अधिकतम 90 दिवस के भीतर ऑनलाइन फाइल किया जा सकेगा।

3. इकाई द्वारा आवेदन की तिथि से 15 दिवस की अवधि तक आवेदन पत्र में हुई त्रुटियां स्वयं संशोधित की जा सकेंगी।

4. 15 दिवस की अवधि के उपरान्त दावा निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ के पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेगा।

5. दावे के निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के पोर्टल पर प्रदर्शित होने की तिथि से अधिकतम 30 दिनों की अवधि में परीक्षणोंपरान्त पूर्ण पाये गये दावे एजेंडा में सम्मिलित किये जायेंगे तथा अपूर्ण पाये गये दावों की स्थिति में पोर्टल पर ही अपूर्णता का विवरण ऑनलाईन अंकित करते हुए निर्यातक इकाई को वापस (Revert) कर दिये जायेंगे।

6. निर्यातक इकाई द्वारा अपूर्ण पाये गये दावों से सम्बन्धित कमियो का निवारण करते हुए अधिकतम 15 दिवसों के अन्दर सुसंगत अभिलेखों को अपलोड करना होगा। निर्यातक इकाईयों के स्तर पर वांछित कार्यवाही उक्त अवधि में पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दावा स्वतः निरस्त माना जायेगा।

7. अपूर्ण पाये गये दावो की स्थिति में, निर्यातक इकाई द्वारा अपूर्णता का निवारण करते हुए दावे से सम्बन्धित सुसंगत अभिलेख अपलोड किये जाने की स्थिति में निर्यात

प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा पुनः परीक्षणोंपरान्त अधिकतम 30 दिनों की अवधि में अपनी सुस्पष्ट संस्तुति के साथ दावा एजेंडा में सम्मिलित किया जायेगा।

5. निर्यातक इकाईयों द्वारा दावों को ऑनलाइन फाइल किये जाने की प्रक्रिया, दावों के परीक्षण करने हेतु निर्यातक इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेखों का निर्धारण, उनमें संशोधन तथा योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों/आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने का अधिकार निम्नानुसार गठित प्राधिकृत समिति में निहित होगा:-

1	निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश	सदस्य
3	उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र	सदस्य
4	प्रतिनिधि, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5	अपर/संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

6. योजनान्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को प्राप्त होने वाले समस्त दावे स्वीकृति हेतु उक्तानुसार गठित प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों की स्वीकृति प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर की जायेगी तथा बजट उपलब्धता के आधार पर आर्थिक सहायता का अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले दावों का भुगतान उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। अवशेष दावों को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिए जाने के अधिकार प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।

7. पात्र निर्यातक इकाईयों को इस योजना हेतु आर्थिक सहायता तभी अनुमन्य होगी यदि निर्यातक इकाईयों द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समान उद्देश्य हेतु संचालित किसी अन्य योजना से समान प्रकृति का पूर्ण या आंशिक लाभ न लिया गया हो।

8. राज्य द्वारा प्रायोजित/निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय मेलों/इवेंट्स में प्रतिभाग करने वाली इकाईयों को योजनान्तर्गत दावों के भुगतान के समय प्राथमिकता दी जायेगी।

9. यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा योजनान्तर्गत अनुमन्य आर्थिक सहायता का दुरूपयोग किया गया है अथवा जानबूझ कर गलत तथ्य/विवरण प्रस्तुत किये गये हैं अथवा छिपाये गये हैं तो इकाई से सम्पूर्ण धनराशि राजस्व देयों की भांति वसूल की जायेगी तथा इकाई को काली सूची में डालते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की शासकीय आर्थिक सहायता हेतु अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

11. शासनादेश में किये गये प्राविधानों की व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण के अधिकार

योजनान्तर्गत गठित प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।

12. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय

Digitally signed by
ALOK KUMAR
Date: 05-11-2025
15:04:07

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या-830(1)/18-4-2025,तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
3. वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ।
5. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
7. संयुक्त/अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या /18–4–2020/2025

प्रेषक,

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन
समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग – 4 लखनऊ :दिनांक 2025

विषयः– निर्यात क्रेडिट इंश्योरेंस समर्थन योजना।

उत्तर प्रदेश से होने वाले निर्यात को सवंर्धित करने, प्रदेश के निर्यातकों हेतु निर्यात लेन–देन से जुड़े जोखिमों को कम करने, उन्हें नए बाजारों/खरीदारों की खोज करने हेतु प्रोत्साहित करने तथा उनके द्वारा किये जा रहे निर्यात को अधिक सुरक्षित बनाये जाने के उद्देश्य से उद्यमियों को उपयुक्त क्रेडिट रेटिंग वाले ओवरसीज बायर्स से सम्बद्ध करने तथा भुगतान डिफॉल्ट जैसे जोखिमों से सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता अनुभूत की जा रही है।

2. अनुभूत आवश्यकता के क्रम में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ECGC), जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सरकारी एजेंसी है, के माध्यम से निर्यात साख बीमा (Export Credit Insurance) प्राप्त करने वाले प्रदेश के निर्यातकों को उनके द्वारा भुगतान किये गये प्रीमियम पर आंशिक प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने तथा अन्य निर्यातकों को निर्यात साख बीमा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 684/18–4–2025/18–4099/31/2025 दिनाँक 03 सितम्बर 2025 द्वारा प्रख्यापित नवीन उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025–30 में प्रदेश के निर्यातको हेतु एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (ECGC) बीमा हेतु भुगतान किये गये वार्षिक प्रीमियम की आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने की व्यवस्था प्रावधानित की गयी है।

तत्क्रम में श्री राज्यपाल प्रदेश के निर्यातकों हेतु नवीन योजना– "**निर्यात क्रेडिट इंश्योरेंस समर्थन"** आरम्भ किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. योजनान्तर्गत विभिन्न प्रावधान निम्नवत है–

(क) पात्रता–

- योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 द्वारा समय–समय पर परिभाषित उत्तर प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की समस्त निर्यातक इकाईयां पात्र होंगी।
- योजनान्तर्गत मर्चेट व मैन्युफैक्चुरिंग दोनो श्रेणियों के निर्यातक पात्र होंगे।
- निर्यातक इकाई द्वारा ECGC प्रीमियम का वास्तविक भुगतान किया गया हो।
- सम्बन्धित निर्यात लेन–देन वास्तविक व वैध रूप से किया गया हो।
- कार्य संपादन के समय निर्यातक इकाई निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद की पंजीकृत सदस्य हो।

(ख) वित्तीय प्रोत्साहन–

- भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ECGC) को वार्षिक प्रीमियम के रूप में भुगतान की गयी धनराशि के 30 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति निर्यातक इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रति निर्यातक इकाई प्रति वर्ष ₹ 5 लाख होगी।

4. **आवेदन की प्रक्रिया–**

(i) निर्यातक इकाईयों द्वारा प्रत्येक त्रैमास हेतु पृथक दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(ii) सम्बन्धित त्रैमास में निर्यातक इकाई द्वारा जमा की गई सभी बीमा पॉलिसी की कुल प्रीमियम धनराशि हेतु दावा त्रैमास की अंतिम तिथि से अधिकतम 90 दिवस के भीतर ऑनलाइन फाइल किया जा सकेगा।

(iii) इकाई द्वारा आवेदन की तिथि से 15 दिवस की अवधि तक आवेदन पत्र में हुई त्रुटियां स्वयं संशोधित की जा सकेंगी।

(iv) उक्त 15 दिवस की अवधि के उपरान्त दावा निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ के पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेगा।

(v) दावे के निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के पोर्टल पर प्रदर्शित होने की तिथि से अधिकतम 30 दिनों की अवधि में परीक्षणोपरान्त पूर्ण पाये गये दावे एजेंडा में सम्मिलित किये जायेंगे तथा अपूर्ण पाये गये दावों की स्थिति में पोर्टल पर ही अपूर्णता का विवरण ऑनलाईन अंकित करते हुए निर्यातक इकाई को वापस (Revert) कर दिये जायेंगे।

(vi) सम्बन्धित निर्यातक इकाई द्वारा अपूर्ण पाये गये दावों से सम्बन्धित कमियो का निवारण करते हुए अधिकतम 15 दिवसों के अन्दर सुसंगत अभिलेखो को अपलोड करना होगा। निर्यातक इकाईयों के स्तर पर वांछित कार्यवाही उक्त अवधि में पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दावा स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(vii) अपूर्ण पाये गये दावो की स्थिति में, निर्यातक इकाई द्वारा अपूर्णता का निवारण करते हुए दावे से सम्बन्धित सुसंगत अभिलेख अपलोड किये जाने की स्थिति में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा पुनः परीक्षणोपरान्त अधिकतम 30 दिनों की अवधि में अपनी सुस्पष्ट संस्तुति के साथ दावा एजेंडा में सम्मिलित किया जायेगा।

5. निर्यातक इकाईयों द्वारा दावों को ऑनलाइन फाइल किये जाने की प्रक्रिया, दावों के परीक्षण करने हेतु निर्यातक इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेखों का निर्धारण, उनमें संशोधन तथा योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों/आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने का अधिकार निम्नानुसार गठित प्राधिकृत समिति में निहित होगा :–

1	निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश	सदस्य
3	उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र	सदस्य
4	प्रतिनिधि, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5	अपर/संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

6. योजनान्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को प्राप्त होने वाले समस्त दावे स्वीकृति हेतु उक्तानुसार गठित प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों की स्वीकृति प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर की जायेगी तथा बजट उपलब्धता के आधार पर आर्थिक सहायता का अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले दावों का भुगतान उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। अवशेष दावों को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिए जाने के अधिकार प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।

7. पात्र निर्यातक इकाईयों को इस योजना हेतु आर्थिक सहायता तभी अनुमन्य होगी यदि निर्यातक इकाईयों द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समान उद्देश्य हेतु संचालित किसी अन्य योजना से समान प्रकृति का पूर्ण या आंशिक लाभ न लिया गया हो।

8. राज्य द्वारा प्रायोजित/निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय मेलों/इवेंट्स में प्रतिभाग करने वाली इकाईयों को योजनान्तर्गत दावों के भुगतान के समय प्राथमिकता दी जायेगी।

9. यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा योजनान्तर्गत अनुमन्य आर्थिक सहायता का दुरूपयोग किया गया है अथवा जानबूझ कर गलत तथ्य/विवरण प्रस्तुत किये गये हैं अथवा छिपाये गये हैं तो इकाई से सम्पूर्ण धनराशि राजस्व देयों की भांति वसूल की जायेगी तथा इकाई को काली सूची में डालते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की शासकीय आर्थिक सहायता हेतु अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

11. शासनादेश में किये गये प्राविधानों की व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण के अधिकार योजनान्तर्गत गठित प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।

12. ''त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना'' के अन्तर्गत ''निर्यात क्रेडिट इंश्योरेंस समर्थन योजना" के शासनादेश में किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्धन, परिमार्जन का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी में निहित होगा।

13. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– (1)/18–4–2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
3. वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश
4. निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ
5. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त
6. त निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश
7. समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
8. संयुक्त/अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

( )
विशेष सचिव।

निर्यात क्रेडिट इंश्योरेंस समर्थन योजना।

शपथ पत्र का प्रारूप (रू0 10 के स्टाम्प पेपर पर)

मैं....................पुत्र/पुत्री/पत्नी.. प्रोपाइटर/पार्टनर/निदेशक.मे0.. पता.................. ....उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सं0.. आई.ई.सी. कोड............................ई0पी0बी0 पंजीयन संख्या................................ .दिनाँक...................सत्यापित करता हूं/करती हूंः-

1. निर्यातक इकाई द्वारा यह दावा संबंधित योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष..............के (I/ II/ III/ IV) त्रैमास में..................बार प्रस्तुत किया गया है।
2. यह कि उक्त वर्णित इकाई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एक्ट-2006 तथा जारी अधिसूचना दिनाँक 21 मार्च 2025 में वर्णित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की परिभाषा के अन्तर्गत एक..................... .श्रेणी की इकाई है।
3. यह कि निर्यातक इकाई (मर्चेंट/मैन्युफैक्चुरिंग)......................... श्रेणी के अंतर्गत हैं।
4. यह कि निर्यातक फर्म द्वारा अनुदान हेतु किये गये दावे के सापेक्ष प्रदेश अथवा भारत सरकार की किसी भी योजना से वित्तीय अनुदान/लाभ प्राप्त नही किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त समस्त सूचनाए जो मेरे द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी प्रकार के तथ्यों को छुपाया नही गया है। यदि भविष्य में यह पाया जाता है मेरे द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये हो तो मेरे विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सकती है।

(हस्ताक्षर)

नाम-

पदनाम-प्रोपाइटर/पार्टनर/डायरेक्टर-

पता-

मोबाईल नंबर-

ECGC शाखा प्रबंधक द्वारा प्रमाणपत्र (शाखा के लेटरहेड पर)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..................................... प्रोपाइटर/पार्टनर/निदेशक.मे0. ....पता...ने IEC संख्या ....के अंतर्गत वित्तीय वर्ष ....के...प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ त्रैमास (......से.......तक) में ECGC को ₹ ....की प्रीमियम का भुगतान निम्न तालिका में दिये गये विवरण के अनुसार किया है-

क्र0सं0	पॉलिसी का नाम	पॉलिसी नंबर	प्रीमियम (INR)
01			
02			
03			
04			

हस्ताक्षर व मुहर

दिनांक-

शाखा प्रबंधक

निर्यात क्रेडिट इंश्योरेंस समर्थन योजना

(शासनादेश संख्या–830 / 18–04–2025, दिनांक 06 नवम्बर 2025)

आवेदन पत्र का प्रारूप

क्र0सं0 Serial no	बिन्दु **Particulars**	विवरण **Details**
1	जनपद का नाम Name of the District	
2	निर्यातक इकाई का नाम Name of the Exporting Unit	
3	पता Address	
4	इकाई का प्रकार (मर्चेट / मैन्युफैक्चुरिंग) Type of Unit(Manufacturer/Merchant)	
5	आयातक-निर्यातक कोड संख्या IEC Number	
6	विगत तीन वर्षों का वार्षिक टर्नओवर (₹ लाख में) Annual Turnover During Previous Three Financial Year (In INR Lakhs):	1. 2. 3.
7	विगत तीन वर्षों का वार्षिक निर्यात टर्नओवर (FOB Value) (₹ लाख में) FOB Value of Export During Previous Three Financial Year (in INR Lakhs):	1. 2. 3.
8	प्राप्त की गयी ECGC बीमा पॉलिसी की सूची List of ECGC Policies Taken	
9	सम्बन्धित ECGC शाखा का नाम व पूर्ण पता Name and Location of Issuing ECGC Branch	
10	सम्बन्धित ECGC शाखा का संपर्क विवरण (ईमेल) Contact details (email) of the	

	concerned ECGC branch	
11	विगत तीन वित्तीय वर्ष में भुगतान की गई प्रीमियम राशि Premium amount paid in the last three financial years	**1.** **2.** **3.**
12	वित्तीय वर्ष Financial Year	
13	त्रैमास जिस हेतु आवेदन किया गया है (I/ II/ III/ IV) Quarter for which incentive is claimed. (I/ II/ III/ IV)	
14	वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्रीमियम Accepted Premium To Be Paid During Current Financial Year	
15	त्रैमास में भुगतान की गयी वास्तविक प्रीमियम राशि जिसके सापेक्ष प्रतिपूर्ति चाही गयी है Actual Premium Paid in Concerned Quarter For Which Reimbursement is being claimed	
16	निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 से अपेक्षित दावा राशि Claim Expected from UP EPB (In INR)	

दावा आवेदन हेतु वांछित दस्तावेज-

1. उद्यम पंजीकरण की प्रति
2. निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद पंजीकरण की प्रति
3. निर्यातक द्वारा घोषणापत्र
4. ECGC शाखा प्रभारी का प्रमाण पत्र
5. दावा प्रपत्र